फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भागुबाई — विपक्षी : श्री चतरलाल

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम — पत्रावली संख्या : 95/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 14.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस सुने अधिक समय हो जाने से पुनः मजीद बहस सुनी गई। प्रकरण विपक्षी संख्या 1, 3 से 6, 8, 9 के विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जा चुके है। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 7 द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षीगण की मौरूसी सम्पति है जिसमें प्रार्थीया का भी हक हिस्सा निहित है जिससे प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 7 द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई से पाबंद किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौका एवं रेकार्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बगड़ पटवार हल्का बगड़ तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या 63 आराजी 175, 176, 176, 177, 199 किता 4 रकबा 7.0500 हैक्टेयर, परिशिष्ट(ख) की खाता संख्या नया 93 की आराजी [illegible] 197, 198, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 457, 458 किता 11 [illegible] 2.0200 हैक्टेयर, परिशिष्ट(ग) की खाता संख्या 64 की आराजी नंबर [illegible] रकबा 0.0500 हेक्टेयर भूमि में व मौजा मनोहरपुरा पटवार हल्का ब[illegible] तहसील भीण्डर की परिशिष्ट(घ) की खाता संख्या नया 60 की आराजी नंबर 124, 125, 182, 194, 32, 33, 37 किता 7 रकबा 1.2900 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.31 12:30:02 IST
Reason: SelfAttested